न्यायालय सहायक कलक्टर(SDO),मावली जिला उदयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी : मोहन सिंह, RAS

पत्रावली संख्या : 63/17 (प्रा0पत्र)

प्रकरण दर्ज दिनांकः 27.04.2017 **निर्णय दिनांक : 17.05.2019**

अनवान्

1. श्री भंवरसिंह पिता रतनसिंह राव निवासी देवीसिंह जी का कुंआ, महुडा तह. मावली।
2. श्रीमती सुरजबाई पुत्री रतनसिंह राव निवासी देवीसिंह जी का कुंआ, महुडा तह. मावली।
3. श्रीमती सुशीलाबाई पुत्री रतनसिंह राव निवासी देवीसिंह जी का कुंआ, महुडा तह. मावली।
4. श्रीमती सुमीबाई पुत्री रतनसिंह राव निवासी देवीसिंह जी का कुंआ, महुडा तह. मावली।
5. श्रीमती प्यारीबाई बेवा रतनसिंह राव निवासी देवीसिंह जी का कुंआ, महुडा तह. मावली।

.....प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री प्रतापसिंह पिता भेरूसिंह राव निवासी देवीसिंह जी का कुंआ, महुडा तह. मावली।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली जिला उदयपुर।

.....विपक्षीगण

उपस्थित– 1. श्री पवन सेन, अधिवक्ता प्रार्थीगण।
2. श्री सुखदेव सिंह उज्जवल, अधिवक्ता विपक्षी सं. 1 ।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–: : निर्णय : :–

दिनांक : 17.05.2019

1. प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि मौजा पलानाकलां, पटवार क्षेत्र पलानाकलां की आराजी नम्बर 1265 किता 1 रकबा 11 बीघा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में हम प्रार्थीगण के नाम पर 1/14 हिस्सा संयुक्त रूप से अंकित हैं व जमाबन्दी के अंकित हिस्सें अनुसार विपक्षीगण के खातेदार काश्तकार के रूप में अंकित है जमाबन्दी की नकल साथ संलग्न हैं।
2. उक्त आराजीयात राजस्व रिकार्ड में हम प्रार्थीगण के नाम पर 1/14 हिस्सें अनुसार खातेदारी हक से संयुक्त रूप से अंकित है व मौके पर भी हमारे मध्य विधिक रूप से बंटवाडा नहीं हुआ है और हम प्रार्थीगण अपने खातेदारी की उक्त सम्पूर्ण आराजीयात में 1/14 हिस्सा पर संयुक्त रूप से हम प्रार्थीगण काबिज हो उपयोग–उपभोग कर रहे हैं, चूंकि उक्त वर्णित आराजीयात राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में संयुक्त रूप से अंकित है इसलिये हम प्रार्थीगण हमारा 1/14 हिस्सा भूमि का विकास करने में मेडबंदी करने में और बैंक से ऋण प्राप्त करने पर भारी कठिनाई पैदा हो रही है व हम प्रार्थीगण सम्पूर्ण भूमि का विधिक रूप से मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर अर्थात् अच्छी से अच्छी व खराब से खराब भूमि का बंटवाडा कराये जाकर हम प्रार्थीगण के हिस्सें के 1/14 हिस्सा

भूमि को हम प्रार्थीगण के नाम पर स्वतंत्र रूप से राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में अंकित फरमाई जावें।

3. उक्त वर्णित आराजी नम्बर 1094 रकबा 5 बीघा 16 बिस्वा है उक्त वर्णित आराजीयात में एक कुंआ हम प्रार्थीगण व विपक्षीगण ने संयुक्त रूप से पिछले तीस वर्ष पूर्व खुदवाया था इसी तरह आराजी नम्बर 1260 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा भूमि में भी हम प्रार्थीगण व विपक्षीगण ने संयुक्त रूप से चालीस वर्ष पूर्व कुंआ खुदवाया, इसी तरह आराजी नम्बर 1182 में प्रार्थीगण व विपक्षीगण ने संयुक्त रूप से एक ट्यूबवेल लगभग बीस वर्ष पूर्व खुदवाया था। किन्तु उक्त दोनों कुए व ट्यूबवेल राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं हुए किन्तु मौके पर उक्त दोनों कुंए व ट्यूबवेल का उपयोग उपभोग हम प्रार्थीगण व विपक्षीगण हिस्से अनुसार कर रहे है, आराजी नम्बर 1257 रकबा 4 बिस्वा भूमि पर एक कुंआ खुदा हुआ है जो वर्तमान जमाबन्दी में अंकित हैं, किन्तु मौके पर विपक्षीगण हम प्रार्थीगण के हिस्सें में कुंए से अपनी फसल को सिंचाई करने में बाधा उत्पन्न करते है व आये दिन झगडा फसाद करते है जबकि आराजी नम्बर 1257 में जो कुंआ खुदा हुआ है इसी तरह विपक्षी सं. 1 प्रतापसिंह पिता भेरूसिंह जी राव आराजी नम्बर 1265 रकबा 11 बीघा जमीन पर अपना मकान निर्माण कार्य करने पर उतारू है जबकि अभी तक प्रार्थीगण व विपक्षीगण के मध्य उक्त वर्णित आराजीयात का बंटवाडा नहीं हुआ है व जब तक बंटवाडा नहीं होता हैं तब तक उक्त वर्णित सम्पूर्ण आराजीयात पर प्रार्थीगण व विपक्षीगण की सम्पूर्ण आराजीयात पर बराबर हक व अधिकार होता है इसलिए विपक्षी सं. 1 को इस बात के लिए स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करना आवश्यक है कि आराजी नम्बर 1265 रकबा 11 बीघा जमीन पर जब तक बंटवाडा नहीं हो जावें तब तक किसी भी प्रकार का कोई निर्माण कार्य नहीं करें, विपक्षी सं. 1 ने उक्त वर्णित आराजीयात पर निर्माण कार्य करने हेतु मौके पर निर्माण सामग्री डाल रखी है हम प्रार्थीगण द्वारा निर्माण नहीं करने हेतु कहां तो विपक्षी सं. 1 प्रतापसिंह जी राव गाली गलोच करते हुए लडाई झगडा करने पर उतारू है इसलिए विपक्षी प्रतापसिंह को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी करना आवश्यक है कि बिना बंटवाडे किये किसी भी प्रकार का कोई निर्माण कार्य नहीं करें।
4. हम प्रार्थीगण को प्राइमाफेसी केस है क्योंकि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात हमारी खातेदारी की होकर उक्त भूमि में हम प्रार्थीगण का 1/14 हिस्से की भूमि के हम प्रार्थीगण खातेदार काश्तकार है। सुविधा संतुलन भी हम प्रार्थीगण के पक्ष में है क्योंकि हम अपनी भूमि पर संयुक्त रूप से काबिज हो काश्त कर रहे है। परन्तु उक्त भूमि का विधिक रूप से बंटवाडा नहीं होने से जो क्षति हम प्रार्थीगण को होगी उसका मूल्यांकन रूपयों पैसों में किया जाना असंभव है व विपक्षीगण को किसी भी तरह से क्षति कारित नहीं होगी।
5. अतः प्रार्थना है कि प्रार्थी के पक्ष में व विपक्षीगण के विरूद्व निम्न आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करायी जावे कि वाद के निस्तारण होने तक प्रार्थना पत्र में अंकित आराजीयात को किसी अन्य को रहन, बय, बक्षीस एवं अन्य तरीके से हस्तान्तरित न तो स्वयं करे ना ही किसी अन्य से करावे तथा प्रार्थीगण के हिस्सें व कब्जे की जमीन पर विपक्षीगण कोई दखलन्दाजी न तो स्वयं करे ना ही किसी अपने एजेन्ट से करावे तथा प्रार्थी को प्रार्थना पत्र में अंकित आराजीयात का शान्तिपूर्ण उपयोग उपभोग करने देवे मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। ताईद में शपथ पत्र पेश हैं।
6. पत्रावली दर्ज रजिस्टर्ड किया जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी सं. 1 द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाद वर्णित कृषि भूमि का मौके पर हमारे बाप–दादाओं के समय से ही मैं विपक्षी एवं मेरे अन्य भाई जसवन्तसिंह,

तेजसिंह, भगवानसिंह अपने–अपने हिस्सें की जमीन पर अपने–अपने परिवारजन सहित शांतिपूर्वक काबिज होकर उपयोग उपभोग करते आ रहे है और मुझ विपक्षी एवं भाई जसवन्तसिंह, तेजसिंह, भगवानसिंह ने अपने हिस्सें कब्जे की जमीन पर लाखों रूपयों की लागत लगाकर एवं परिवार सहित कडा परिश्रम कर हमारी जमीन को विकसित कर आवादान की और मौके पर मै विपक्षी एवं मेरे भाई जसवन्तसिंह, तेजसिंह, भगवानसिंह के हिस्सें कब्जे की भूमियों पर पाली डोलिया एवं बाड बनी हुई है और मुझ विपक्षी एवं मेरे भाई जसवन्तसिंह, तेजसिंह, भगवानसिंह ने अपने परिवारजन के निवास के लिए इसी कृषि भूमि के कुछ भाग पर मकान भी निर्माण करवाये है जिसमें मै विपक्षी एवं मेरे भाई जसवन्तसिंह, तेजसिंह, भगवानसिंह अपने–अपने परिवारजन सहित वर्षो से शांतिपूर्वक निरन्तर निर्बाध रूप से निवास करते आ रहे है जिसमें प्रार्थीगण का कोई हक हिस्सा अधिकार नहीं हैं। इसके साथ ही प्रार्थीगण के पिता/पति के हिस्सें की भूमि पर प्रार्थीगण के पिता/पति ने भी अपने परिवारजन के निवास के लिए एक मकान बना रखा है जिसमें वर्तमान में प्रार्थीगण निवासरत है लेकिन वर्तमान में मुझ विपक्षी एवं मेरे भाई जसवन्तसिंह, तेजसिंह, भगवानसिंह के हिस्सें कब्जे की जमीन हमारे द्वारा विकसित कर आवादान कर देने से प्रार्थीगण की नियत में फितुर उत्पन्न हो गया जिस वजह से प्रार्थीगण इस तरह के झूठे एवं कपोल कल्पित कथन कर इस मिथ्या मुकदमें की आड में प्रार्थीगण हमारी भूमियों को हडपना चाह रहे हैं और इसी बदयान्ति से प्रार्थीगण ने यह मनगढन्त एवं कपोल कल्पित आधारों पर उक्त मुकदमा माननीय न्यायालय आपमें पेश किया है जिसमें प्रार्थीगण को कभी भी सफलता नहीं मिलेगी और प्रार्थीगण का प्रार्थना प. एवं वाद अन्ततः सव्यय खारिज होगा। यदि उक्त भूमियों का मौके पर कब्जे एवं रेकार्ड में अंकित हिस्सेंनुसार बंटवाडा किया जाता है तो मुझ विपक्षी को कोई एतराज नहीं हैं। आराजी नम्बर 1094, 1260, 1257 पर स्थित कुंए एवं आराजी नम्बर 1182 पर स्थित ट्यूबवेल मुझ विपक्षी एवं मेरे भाई जसवन्तसिंह, तेजसिंह, भगवानसिंह ने ही संयुक्त रूप से अपने खून पसीने की एक–एक पाई जोडकर खुदवाया है और मै विपक्षी एवं मेरे भाई जसवन्तसिंह, तेजसिंह, भगवानसिंह ही इसका निरन्तर निर्बाध रूप से उपयोग उपभोग करते आ रहे है जिसमें कभी भी प्रार्थीगण के पिता/पति रतनसिंह का कोई हक हिस्सा, उपयोग उपभोग नहीं रहा है और न ही वर्तमान में प्रार्थीगण का इन कुंओं एवं ट्यूबवेल में कोई हक हिस्सा एवं उपयोग उपभोग हैं। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में उक्त कुंओं एवं ट्यूबवेल को संयुक्त रूप से खुदवाने का कथन किया है जो पूर्णतया गलत एवं अस्वीकार हैं। इन कुंओं एवं ट्यूबवेल में प्रार्थीगण या इनके पिता/पति रतनसिंह का कभी कोई हक हिस्सा न तो था और न हैं। इन कुंओं एवं ट्यूबवेल को मुझ विपक्षी एवं मेरे भाई जसवन्तसिंह, तेजसिंह, भगवानसिंह द्वारा ही निर्मित कराया गया और हम ही अपने परिवारजन सहित इनका उपयोग उपभोग करते आ रहे हैं। जब प्रार्थीगण या इनके पिता/पति का इन कुंओं एवं ट्यूबवेल में कोई हक हिस्सा ही नहीं है तो उनको इनका उपयोग उपभोग करने से रोकने का सवाल ही पैदा नहीं होता हैं। लेकिन प्रार्थीगण की नियत में फितुर उत्पन्न हो जाने से हमारी निजी स्वामित्व आधिपत्य के कुंए एवं ट्यूबवेल पर कब्जा करना चाह रहे हैं और इसी नियत से प्रार्थीगण इस तरह के झूठे झूठे मुकदमे कर हमको तंग परेशान कर रहे है। यदि वास्तव में प्रार्थीगण के पिता/पति का इन कुंओ एवं ट्यूबवेल में कोई हक हिस्सा होता तो प्रार्थीगण के पिता/पति रतनसिंह उनके जीवनकाल में इन कुंओं एवं ट्यूबवेल को अपने नाम पर दर्ज कराने की कार्यवाही करते। लेकिन चूंकि रतनसिंह का इन कुंओं एवं ट्यूबवेल में कोई हक हिस्सा नहीं था इसलिए उन्होने अपने जीवनकाल में इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की और न ही इन कुंओं एवं ट्यूबवेल का उपयोग उपभोग किया गया। लेकिन वर्तमान में प्रार्थीगण लोभ लालच

की भावना से वशीभूत होकर हमारे निजी कुंओं एवं ट्यूबवेल में अपने हक अधिकार कायम करने की मन्शा से झूठे एवं कपोल कल्पित कथन कर यह मिथ्या प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया है और इस मिथ्या प्रार्थना पत्र की आड लेकर प्रार्थीगण हमें उक्त कुंओं एवं ट्यूबवेल के उपयोग उपभोग करने में रूकावट पैदा कर रहे है और मरने मारने पर उतारू है। जबकि इनको ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। उक्त आराजी नम्बर में स्थित कुएं एवं ट्यूबवेल में हम विपक्षीगण के निजी है जिसे मै विपक्षी एवं मेरे भाई जसवन्तसिंह, तेजसिंह, भगवानसिंह हमारे नाम पर राजस्व रेकार्ड में अंकन करवाने का अधिकारी है और उक्त कुओं एवं ट्यूबवेल का उपयोग उपभोग करने से हमको रोकने का प्रार्थीगण को कोई अधिकार नहीं है और न ही प्रार्थीगण मुझ विपक्षी के विरूद्व किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने के अधिकारी ही हैं।

7. यह कि प्रार्थीगण का कोई प्राइमाफेसी केस नही है क्योंकि उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि का मौके पर हमारे बाप–दादाओं के समय से ही आपसी पारिवारिक बंटवाडा कर रखा है और बंटवाडे अनुसार मौके पर मै विपक्षी एवं मेरे भाई जसवन्तसिंह, तेजसिंह, भगवानसिंह काबिज होकर उपयोग उपभोग करते आ रहे है तथा मुझ विपक्षी एवं मेरे भाई जसवन्तसिंह, तेजसिंह, भगवानसिंह को बंटवाडे में जो भूमि प्राप्त हुई उसी पर मुझ विपक्षी एवं मेरे भाई जसवन्तसिंह, तेजसिंह, भगवानसिंह ने अपने खून पसीने की एक–एक पाई जोडकर कुऐं एवं ट्यूबवेल खुदवाये है और उनका उपयोग उपभोग कर रहे है जिसमें प्रार्थीगण या इनके पिता/पति का कभी कोई अधिकार नहीं रहा है और नही वर्तमान में है। इसलिए सुविधा संतुलन का बिन्दु भी मुझ विपक्षी के पक्ष में हैं। यदि मुझ विपक्षी के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावेगी तो हमारे जायज हक अधिकारों पर कुठाराघात होगा और मै विपक्षी अपने हिस्सें कब्जे की भूमि एवं कुओ, ट्यूबवेल के उपयोग उपभोग करने से वंचित हो जाउंगा जिससे मुझ विपक्षी को अपरिमित एवं अशोधनीय क्षति होगी जिसका मूल्याकंन रूपयों पैसो में आंका जाना असम्भव होगा। इसके विपरित अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं होने से प्रार्थीगण को किसी प्रकार की क्षति या असुविधा न तो हो रही है और न ही होगी। प्रार्थीगण मुझ विपक्षी के विरूद्व किसी प्रकार की दाद प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं। अतः माननीय न्यायालय से प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र गलत एवं मिथ्या तथ्यों पर आधारित होने से भारी हर्जा खर्चा सहित खारिज फरमाया जावें। ताईद मै शपथ पत्र पेश हैं।

8. प्रकरण में अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया एवं प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ता विपक्षी द्वारा प्रकरण में जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने का निवेदन किया।

9. हमने प्रकरण का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। प्रकरण में न्याय निर्णयन हेतु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में वर्णित बिन्दुओ पर निम्नानुसार विवेचन हैः–

   1. **<u>प्रथम दृष्टया प्रकरण</u>**:– वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण एवं विपक्षी सं. 1 के नाम सहखातेदार के रूप में दर्ज है पक्षकारान की पैतृक सम्पति है। वादग्रस्त आराजीयात वर्तमान में अविभाजित भूमि होकर पक्षकारान अपने हिस्से कब्जे अनुसार मौके पर भूमि का उपयोग उपभोग कर रहे हैं। चूंकि प्रार्थीगण विपक्षी को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराना चाह रहा हैं जबकि विपक्षी खातेदार होने से खातेदार के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती हैं। अतः विपक्षीगण प्रार्थना ग्रस्त भूमि का खातेदार काश्तकार होने से प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नहीं होता है। अतः उक्त बिन्दु प्रार्थीगण के विरूद्व निर्णित किया जाता है।

2. **सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति** :– प्रार्थनाग्रस्त भूमि वर्तमान में प्रार्थीगण एवं विपक्षी के नाम दर्ज है विपक्षी उक्त भूमि के खातेदार काश्तकार है। खातेदार के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से उसके अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा। प्रथम दृष्टया मामला भी प्रार्थीगण के विरूद्व साबित होने से सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बिन्दु भी प्रार्थीगण के विरूद्व निर्णित किया जाता है।

10. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रार्थनाग्रस्त भूमि के प्रार्थीगण एवं विपक्षी दोनों ही खातेदार है। भूमि का बंटवाडा नहीं होकर अविभाजित सम्पति हैं। प्रार्थी द्वारा घोषणा एवं बंटवाडें का वाद प्रस्तुत किया हैं। जिसके साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर विपक्षी के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने की प्रार्थना की हैं। चूंकि भूमि अविभाजित होकर प्रार्थीगण एवं विपक्षी दोनों के ही नाम संयुक्त रूप से दर्ज हैं। भूमि के विपक्षी खातेदार काश्तकार होने से खातेदार के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित नहीं होगा। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दू भी प्रार्थी के विरूद्व निर्णित किये गयें, ऐसी स्थिति में खातेदार विपक्षी के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती हैं तो इससे विपक्षी के हितो पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा। अतः विपक्षी खातेदार होने से खातेदार के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा को कन्फर्म किया जाना उचित नहीं हैं।

11. अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है।

–: आदेश :–

परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा.का.अ. का अस्वीकार कर खारिज किया जाता हैं। पूर्व में जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा हटाई जाती हैं।

पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय सुनाया गया।

(मोहन सिंह)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली